न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 27/2026 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 25.03.2026 निर्णय दिनांक : 08.05.2026

उनवान

1. जयनारायण पुत्र बुटीलाल जाति अहीर निवासी गांव जैतपुर तहसील माढंण जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
2. तनसुख पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी गांव जैतपुर तहसील मांढण जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री अरविन्द यादव अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्रीमति संजू यादव अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 की ओर से।

।। निर्णय ।। दिनांक – 0.05.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष वाद बउनवानी शेरसिंह बनाम लालाराम वगै0 मुकदमा संख्या 20/2023 मय टी.आई. विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी सं0 02 की ओर से श्रीमती संजू यादव उपस्थित हुए।
3. दौराने बहस वकील प्रार्थी अनुपस्थित रहे। वकील अप्रार्थी को सुना गया।
4. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से है– प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष एक वाद अनुवानी शेरसिंह बनाम लालाराम वगे० मुकदमा नं0 20/2023 जिसके संलग्न टी.आई. प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में जैरकार है। उक्त वाद पत्र में न्यायालय द्वारा दिनांक 29/12/2025 को प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई थी व आदेश हेतु दिनांक 05/01/2026 नियत की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक न तो उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश किया गया और न ही पत्रावली में आगामी तारीख पेशी नियत की गई। जब न्यायालय से इस बाबत सूचना चाही गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और नकल शाखा ने भी पत्रावली उपलब्ध न होने की बात कहकर प्रमाणित प्रति देने से मना कर दिया। प्रार्थी द्वारा जानकारी करने पर पता चला कि पत्रावली आज दिनांक 25/03/2026 में नियत है, परंतु यह न्यायालय के चैम्बर से कोर्ट रूम में पेश नहीं हुई है और न ही इसका अंकन दैनिक वाद सूची (कॉज लिस्ट) में है। अप्रार्थी अपने राजनैतिक प्रभाव व धनबल का हवाला देते हुए पीठासीन अधिकारी से अच्छे संबंधों की घोषणा की गई है और प्रार्थी को धमकी दी गई है कि वह फैसला अपने पक्ष में करवा लेगा। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि न्याय का सिद्धांत कहता है कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। चूँकि प्रकरण में काउंटर दावा पेश हो चुका है और यह मामला इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राजात की प्रकृति का है जिसमें गवाही व दस्तावेजों के आधार पर निर्णय होना आवश्यक है, अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस वाद को निष्पक्षता हेतु अन्यत्र किसी सक्षम अधिकारी के पास स्थानांतरित करने की आज्ञा प्रदान करें।
5. वकील अप्रार्थी सं0 02 ने वकील प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अंकित तमाम तथ्य मनगढ़ंत एवं बनावटी हैं तथा मिन अप्रार्थी पर लगाए गए झूठे आरोपों सहित पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लेने की घोषणा का आरोप सरासर गलत है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी जयनारायण के नाम रिकॉर्ड में त्रुटिवश वास्तविक हिस्से से अधिक भूमि दर्ज हो गई है, जिसे सुधारने हेतु मिन अप्रार्थी द्वारा पेश किए गए काउंटर क्लेम में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

किए जा चुके हैं। प्रार्थी केवल प्रकरण में देरी करने और अनुचित दबाव बनाकर काउंटर क्लेम का जवाब रिकॉर्ड पर लेने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है, जबकि कानूनन प्रतिवादी पक्ष को काउंटर क्लेम का जवाब देने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसी संबंध में अप्रार्थी द्वारा धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। प्रार्थी केवल मामले को लंबा खींचना चाहता है ताकि वह रिकॉर्ड में दर्ज अतिरिक्त भूमि का बेचान कर सके। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे प्रकरण का हस्तांतरण किया जाए; यह प्रार्थना पत्र मात्र दबाव बनाने की नियत से पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का यह झूठे तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. तहत न्यायालय से प्राप्त बिन्दुवार टिप्पणी में उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने निवेदन किया कि उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दू मनगंढत एवं बनवाटी है जो स्वीकार्य नही है। यदि उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानानतरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।

7. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, प्रार्थी अधिवक्ता की दलीलों, पत्रावली के समस्त अभिलेखों एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा प्रेषित बिन्दुवार टिप्पणी पर सम्यक् विचार किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी नीमराना के विरुद्ध लगाए गए आरोप सामान्य, अस्पष्ट एवं अनुमान आधारित हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस, विश्वसनीय अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण आचरण किया जा रहा है अथवा प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की वास्तविक एवं युक्तियुक्त आशंका है। यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि केवल आशंका, अफवाह या एकपक्षीय कथनों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। मात्र आदेश समय पर न होना या पत्रावली का कॉज लिस्ट में न दिखना पीठासीन अधिकारी की दुर्भावना का प्रमाण नहीं माना जा सकता और इसको प्रकरण स्थानांतरण का आधार नहीं बनाया जा सकता है। प्रकरण के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने और अधीनस्थ न्यायालय पर अनुचित मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। चूँकि प्रार्थी पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है और केवल निराधार आशंकाओं के आधार पर स्थानांतरण की मांग की गई है, अतः न्याय के हित में ऐसे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़